न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 456/16 **निर्णय दिनांकः—11.10.2018**

1. जेठाराम पुत्र अमानाराम जाति रेगर निवासी देशनोक तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 16—12—1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री रामचन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 16—12—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल में बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के तमाम सबूत प्रस्तुत करते हुए प्रस्तुत करते हुए भूमि आवंटन हेतु इस्तदुआ की गई थी।

अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु वांछित तमाम सबूत अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24—02—1993 को अपीलांट का आवेदन पत्र बिना किसी ठोस कारण के निरन्त कर दिया गया जिसके विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07—10—1995 को अपील संख्या 134/94 स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया व दिनांक 16—12—1998 को अपीलांट की पत्रावली पेशी में ली जाकर अंकित किया गया कि अपीलांट को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, प्रार्थी ने उपस्थित आकर सबूत पेश नहीं किये अतः प्रार्थी का भूमिहीन आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। जबकि इस संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड नोटिस जारी नहीं किया गया है ना कि ऐसा कोई नोटिस अदालत मातहत की पत्रावली पर संलग्न है।

अदालत मातहत द्वारा न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेशों के विपरीत जाकर व उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया हैं। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—12—1998 के विरूद्व अपील दिनांक 28—05—12 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16—12—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 28—05—2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त संख्या 134/94 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07—10—1995 को अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

(3) उक्त आदेश की पालना में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—11—1998 को पत्रावली दर्ज करते हुए प्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने की आदेशिका लिखी गई तथा आईदा पेशी दिनांक 16—12—1998 निर्धारित की गई। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में अपीलांट को किसी प्रकार के नोटिस जारी किये जाने के सबूत उपलब्ध नहीं है। जबकि दिनांक 16—11—1998 की आदेशिका में अभिलिखित किया गया कि प्रार्थी को नोटिस जारी हो।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16—12—1998 को अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को सुनवाई व सबूत पेश करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, लेकिन प्रार्थी ने उपस्थित आकर सबूत पेश नहीं किये। अतः प्रार्थी का भूमिहीन प्रार्थना पत्र सबूतों के अभाव में खारिज किया जाता है। इस संबंध में उल्लेखनीय यह है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया जाना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से परिलक्षित नहीं होता है।

इसप्रकार अदालत मातहत द्वारा रिमाण्ड आदेशों की अवहेलना करते हुए मात्र प्रकरण को निपटाने के उद्वेश्य मात्र से अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया जाना प्रतीत होता है।

(4) अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। जो स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के व न्यायालय हाजा द्वारा रिमाण्ड आदेशों में दिये गये निर्देशों के विपरीत होना परिलक्षित होता है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 16—12—1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट को वांछित सबूत प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान करते पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर